(48)

श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

R4124-PBR-16 प्र. कमांक ..../2016

पेशी दिनांक ..../2016

त्रिलोकचंद पिता राजकुमार जैन
निवासी – ग्राम पिपल्या, हा.मु. इन्दौर ....प्रार्थी

विरूद्ध

1. मधुसुदन पाटीदार पिता भगवान पाटीदार
ग्राम – भवरीया, तहसील कुक्शी, जिला धार
2. ग्राम पिपल्या के कृषक
ग्राम पिपल्या, तहसील कुक्शी, जिला धार ......प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

प्रार्थी का विनम्र निवेदन है कि,

प्रार्थी द्वारा यह निगरानी श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कुक्शी जिला धार म.प्र. के प्रकरण कमांक 19/अ–13/15–16 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17/11/2016 के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्यः–

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी कमांक 2 द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील कुक्शी जिला धार के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम कुक्शी कि ओर से एक किलोमीटर दूर हनुमान मंदिर के पीछे से प्रतिप्रार्थी कमांक 2 को अपने खेतों मे आने–जाने के लिए काकड़ पर रास्ता बना हुआ है उक्त रास्ते का उपयोग प्रतिप्रार्थी कमांक–2 अपने बाप–दादा के समय से करते चले आ रहे है उक्त रास्ते से लगी हुई भूमि सर्वे कमांक 57 के ... मधुसूदन पाटीदार (प्रतिप्रार्थी कमांक 1

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4124–पीबीआर/16 **जिला** धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–2017	आवेदक की ओर से श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री सुनील सिंह जादौन एवं श्री लोकेश गंगवाल, अभिभाषकगण उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण में उपलब्ध विभिन्न आदेशों का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध अनावेदक कमांक 2 द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था, न ही निम्न न्यायालय में उसे पक्षकार बनाया गया है, और न ही उसे सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है । वर्तमान में यह निगरानी तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम तौर से रोके गये रास्ते के विरूद्ध प्रचलित है । प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया आवेदक के विद्वान अभिभाषक के इस तर्क में बल है कि उनको अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । उक्त परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय का पूर्व आदेश निरस्त करते हुए यह निगरानी इस निर्देश के साथ समाप्त की जाती है कि तहसील न्यायालय प्रकरण में आवेदक को भी पक्षकार बनायें तथा पुनः स्थल निरीक्षण कर सभी पक्षों की उपस्थिति में अंतरिम रास्ते के संबंध में आदेश पारित करें । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	